<u>न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश, संख्या-2, बून्दी (राज0)</u>

पीठासीन अधिकारी — मिनाक्षी मीणा
दीवानी वाद संख्या — 1096/2014

बून्दी टेक्टर्स प्राईवेट लिमिटेड जरिये डायरेक्टर बलदेव सिंह
निवासी-41,42 न्यू कॉलोनी, बून्दी तहसील व जिला-बून्दी (राज0)
-वादी.

ब ना म

राधेश्याम पुत्र रामदेव,
निवासी-डोला की झोंपडिया तहसील व जिला-बून्दी (राज0)
-प्रतिवादी.

<u>वाद बाबत् प्राप्ति रकम 80201/- रूपये</u>

उपस्थित-
(1) श्री महेन्द्र जैन, अधिवक्ता-वादी,
(2) श्री तेज सिंह गौड, अधिवक्ता-प्रतिवादी,

दिनांक : 13 मार्च, 2026

<u>निर्णय</u>

1. वादी ने इस आशय का एक वाद-पत्र बाबत् प्राप्त किये जाने राशि अन्तर्गत आदेश 7 नियम 1 सि.प्र.सं. में इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया कि वादी फर्म ट्रेक्टर बेचने एवं ट्रेक्टर के पार्ट्स बेचने तथा उनका सर्विस का कार्य करती है। फर्म के डायरेक्टर बलदेव सिंह व सरबजीत कौर है। बलदेव सिंह कानूनी कार्यवाही के लिए अधिकृत है। दिनांक 22.03.2009 को एक ट्रेक्टर प्रतिवादी ने वादी से 4,80,000/- रूपये में खरीदने का इकरार किया तथा राशि 24 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर से अदा करने का वादा किया। दिनांक 26.06.2009 को 1,80,000 रूपये तथा दिनांक 17.08.2009 को 1,00,000 रूपये प्रतिवादी द्वारा जमा करवाये गये। 2,00,000 रूपये बकाया रहे। प्रतिवादी के निवेदन पर वादी द्वारा ट्रेक्टर की बीमा राशि 16,438 रूपये दिनांक 10.09.2009 को जमा करवाये गये। प्रतिवादी की ओर से इसी दिन 1,94,250 रूपये का भुगतान किया गया। शेष राशि 22,188 रूपये मूल और ब्याज बकाया रहा। लेकिन प्रतिवादी ने कई बार तकाजे के बाद भी राशि अदा नहीं की। इस राशि पर दिनांक 13.10.2011 तक 54,463 रूपये ब्याज व कुल 76,651 रूपये बकाया रहे जिसके लिए वादी ने प्रतिवादी को एक नोटिस दिनांक 14.11.2011 को भेजकर रकम की मांग की। प्रतिवादी को यह नोटिस प्राप्त हो गया लेकिन कोई राशि अदा नहीं की। दिनांक 30.06.2012 तक 24 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से कुल 80,201 रूपये बकाया है जो कि राशि वसूली के 24 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से दिलाये जाने का निवेदन किया।

2. प्रतिवादी ने जवाब दावा प्रस्तुत करते हुए जाहिर किया कि वादी द्वारा ट्रेक्टर देने के लिए प्रतिवादी को 2,80,000 रूपये नकद लिए गए थे तथा कोटक महिंद्रा बैंक लि. से वादी के माध्यम से 2,00,000 रूपये का ऋण स्वीकृत करवाया था। यह राशि बैंक से वादी ने ही प्राप्त की थी। इस प्रकार ट्रेक्टर की कुल कीमत 4,80,000 रूपये वादी को प्राप्त होने पर वादी ने प्रतिवादी को ट्रेक्टर दिया था। प्रतिवादी की कोई राशि बकाया नहीं रही है। बीमा की राशि भी प्रतिवादी ने पृथक से जमा करवायी थी। वादी द्वारा एक ही वर्ष में ट्रेक्टर का दो बार बीमा करवाया गया है जो दिनांक 23.03.2009 को तथा दिनांक 25.08.2009 को ट्रेक्टर का बिल काटा इस प्रकार 16,438 रूपये दो बार प्रतिवादी से लेकर जमा किये गये थे। ऐसे में प्रतिवादी वादी से 16,438 रूपये वापस प्राप्त करने का अधिकारी है। वादी द्वारा जो नोटिस दिया गया था इसके बाद वादी से प्रतिवादी मिला और उसे बताया कि कोई राशि बकाया नहीं है लेकिन वादी ने न्यायालय के जरिये नोटिस भिजवा दिया। प्रतिवादी पुनः वादी से मिला तो उसने कहा कि वह अपना वाद वापस ले लेगा क्योकि प्रतिवादी की कोई राशि बकाया नहीं है। वादी को कोई वाद कारण उत्पन्न नहीं हुआ है। अतः दुर्भावाना से पेश किये जाने की वजह से क्षतिपूर्ति दिलाने का निवेदन किया। यदि कोई ब्याज की राशि बकाया हो तो उसे 6 प्रतिशत वार्षिक दर से दिलवाने का आदेश पारित करने का निवेदन किया।

3. वाद-पत्र एवं प्रतिवाद-पत्र में अंकित अभिवचनों के आधार पर प्रकरण में निम्न विवाद्यक कायम किये गये:-

(1) आया वादी द्वारा प्रतिवादी को ट्रेरक्टर उधार खरीदने हेतु उसके खाते में मार्जिन मनी 2,80,000 रूपये जमा करवाये एवं अन्य लेन देन के पश्चात मूल राशि 22,188 रूपये एवं दिनांक 30.06.2012 तक की ब्याज राशि 58,013 रूपये कुल 80,201 रूपये वादी प्रतिवादी से प्राप्त करने का अधिकारी है ? - वादी

(2) आया वादी का प्रतिवादी पर कोई बकाया नहीं है एवं वादी ने प्रतिवादी से बीमा की रकम 16,438 रूपये एक वर्ष में दो बार जमा कर ली जिसमें एक बार की राशि 16,438 रूपये प्रतिवादी वादी से पुनः प्राप्त करने का अधिकारी है? - प्रतिवादी.

(3) अनुतोष ?

4. वादी साक्ष्य में पी.डब्ल्यू.1 बलदेव सिंह के कथन लेखबद्ध किये गये, दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श-1 रजिस्टर्ड नोटिस दिनांक 14.11.2011, प्रदर्श-2 डाकघर की रसीद, प्रदर्श-3 मुख्तारनामे की प्रमाणित प्रतिलिपि, प्रदर्श-4 ट्रेक्टर के हिसाब का विवरण, प्रदर्श-5 ट्रेक्टर का डिलिवरी चार्ज, प्रदर्श-6 ट्रेक्टर का बिल, प्रदर्श-7 फर्म के रजिस्ट्रेशन की नोटेरी प्रतिलिपि, प्रदर्श-8 प्रतिवादी राधेश्याम को दी हुई तहरीर है जो प्रदर्शित करवाये गये।

प्रतिवादी साक्ष्य में प्रतिवादी राधेश्याम डी.डब्ल्यू.01 के रूप में पेश हुआ। कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं हुई।

5. वादी की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने बहस में तर्क दिये हैं कि वादी द्वारा अपना प्रकरण प्रमाणित किया जा चुका है, वादी ने अपनी मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य से वाद में अंकित तथ्यों की पुष्टि की है, जिसका कोई खण्डन प्रतिवादी द्वारा की गई जिरह में नहीं हो सका है और ना ही प्रतिवादी द्वारा वादी की साक्ष्य के खण्डन में कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत की गई है। अतः वाद डिक्री किये जाने की प्रार्थना की गई।

प्रतिवादी की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा बहस में तर्क किये हैं कि वादी की साक्ष्य से वादी का वाद प्रमाणित नहीं है। दोनों पक्षों के मध्य 24 प्रतिशत की वार्षिक दर के संबंध में कोई इकरार नहीं हुआ। प्रदर्श 4 ट्रेक्टर का हिसाब एक कूटरचित दस्तावेज है जो कब जारी किया गया स्पष्ट नहीं है। इसी प्रकार प्रदर्श 08 भी कूटरचित है। कोई बकाया नहीं था। 24 प्रतिशत ब्याज के संबंध में मौखिक सहमति को नही माना जा सकता। दावा मियाद बाहर है। खारिज किये जाने का निवेदन किया।

6. बहस सुनी गई, पत्रावली व विधि-व्यवस्था का ध्यानपूर्वक अवलोकन व मनन् करने के पश्चात् कायम किये गये विवाद्यकों पर न्यायालय का विवेचन निम्न प्रकार से है -

<u>विवाद्यक सँख्या 1 व 2 :-</u>

7. सुविधा की दृष्टि से एवं विवाद्यकों की प्रकृति को देखते हुए इन दोनों ही विवाद्यकों का निस्तारण एक साथ किया जा रहा है। विवाद्यक सं. 1 को साबित करने का भार वादी पर एवं विवाद्यक सं. 2 को साबित करने का भार प्रतिवादी पर है। विवाद्यक सं. 1 के संबंध में मुख्य रूप से वादी फर्म का यह कथन है कि उनके द्वारा प्रतिवादी को 4,80,000 रूपये में ट्रेक्टर बेचने का इकरार किया गया था परन्तु प्रतिवादी ने कुल मुल्य में से संपूर्ण राशि अदा नहीं की और बीमा राशि 16,438 रूपये भी वादी ने प्रतिवादी की ओर से जमा करवाये जो कि मय ब्याज प्रतिवादी द्वारा वादी को अदा किये जाने है। इस प्रकार 22,188 रूपये शेष रहे थे जिन पर 24 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से वसूली तक वादी दावाकृत राशि प्राप्त करने का अधिकारी है।

8. अपने कथनों के समर्थन में वादी बलदेव सिंह पी.डब्लयू. 01 के रूप में परीक्षित हुआ। इस गवाह के मुख्य परीक्षा के शपथ पत्र का अवलोकन किया जावे तो मद सं. 2 में इसमें स्वयं को उक्त फर्म में मैनेजर का कार्य करना और उसकी वजह से प्रकरण की जानकारी होने का तथ्य अंकित किया है, जबकि मद सं. 1 में स्वयं को वादी फर्म का डायरेक्टर बताया है एवं वादपत्र के तथ्यों को दोहराया है। दोहराते हुए स्वयं को प्रतिवादी से 80,201 रूपये मय 24 प्रतिशत वार्षि क ब्याज की दर से प्राप्त करने का अधिकारी बताया है। जिरह में गवाह में कथन किया कि प्रदर्श 4

ट्रेक्टर के हिसाब के विवरण में उपर दिनांक अंकित नहीं है। प्रदर्श-5 पर 22.03.2009 अंकित है। ट्रेरक्टर 22.03.2009 को डिलिवर किया था। जब ट्रेक्टर देते थे तो दो महिने का बीमा करवाते थे। फाईनेंस के समय बाकी का बीमा होता था। इस सुझाव को यही बताया कि दिनांक 22.03.2009 से 22.03.2010 तक ट्रेक्टर का फर्स्ट पार्टी बीमा 7,115 रूपये का हुआ था क्योकि फाईनेंस कंपनी तभी पैसा देती है जब बीमा हो जाये। जब दूसरा बीमा होगा तब पहला बीमा कैंसिल हो गया होगा। इस सुझाव का गलत बताया है कि प्रदर्श 8 पर हमने प्रतिवादी के खाली कागज पर हस्ताक्षर करवाये हो। इस सुझाव को सही बताया कि राधेश्याम के हस्ताक्षर के बिल्कुल नीचे दिनांक अंकित नहीं है बल्कि साईड में अंकित है। इस सुझाव को भी सही बताया कि उसके साईन के नीचे 22.03.2009 अंकित है। इस सुझाव को सही बताया कि उसके हस्ताक्षर नहीं है। इस सुझाव को गलत बताया कि दावा मियाद बाहर है। 24 प्रतिशत ब्याज के संबंध में प्रतिवादी द्वारा मौखिक सहमति देना बताया। प्रदर्श 8 नोटेरी या शपथ आयुक्त से तस्दीक नहीं है। इस सुझाव को भी सही बताया कि प्रतिवादी ने 2,80,000 रूपये नकद जमा करवाये थे। इस सुझाव को गलत बताया कि कोटक महिंद्रा बैंक से 2,80,000/- ऋण पेटे प्राप्त किये हो अपितु 1,94,250/- रूपये प्राप्त करना बताया। इस बात की जानकारी नहीं होने का कथन किया कि कोटक महिंद्रा बैंक की प्रतिवादी की कोई राशि बाकी हो। इस सुझाव को गलत बताया कि प्रतिवादी से 16,438 रूपये दो बार लिये हो। इस सुझाव को गलत बताया कि कोई राशि बकाया नहीं है और प्रतिवादी क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकारी है।

9. दौराने बहस अधिवक्ता वादी ने यह कथन किया कि ट्रेक्टर खरीदने का तथ्य स्वीकृत है एवं वादी की ओर से पेश किये गये विवरण में हर संव्यवहार के आगे दिनांक अंकित है। यह दावा उचित रूप से वसूली योग्य राशि के लिये पेश किया गया है। विवाद्यक सं. 1 वादी के पक्ष में है एवं विवाद्यक सं. 2 विरूद्ध प्रतिवादी तय किये जाने का निवेदन किया।

10. प्रतिवादी की ओर से विवाद्यक सं. 1 के खण्डन मे मुख्य रूप से यही कथन जवाब दावे में किया गया कि उसकी कोई राशि बकाया नहीं है एवं वादी द्वारा उससे ट्रेरक्टर के बीमे के संबंध में दो बार बीमे की राशि प्राप्त की गई। ऐसे में वह वादी से 16,438 रूपये प्राप्त करने का अधिकारी है। इन कथनों के समर्थन में प्रतिवादी ने स्वयं को डी. डब्ल्यू. 1 के रूप में परीक्षित करवाया। मुख्य परीक्षा के शपथपत्र में प्रतिवादी राधेश्याम द्वारा मुख्य रूप से जवाब दावे के ही तथ्यों को दोहराया गया और कथन किया गया कि वादी की प्रतिवादी की ओर कोई राशि बकाया नहीं है। जिरह में कथन किया कि वादी फर्म से ट्रेक्टर खरीदा था। 2,80,000 रूपये जमा करवाये थे और 2,00,000 रूपये का लोन करवाया था जो वादी फर्म को अदा हो गये इस बात की कोई रसीद पेश नहीं की। बैंक ने कितना ऋण दिया इस बात की भी कोई रसीद पेश नहीं की। ऋण कोटक महिंद्रा बैंक से करवाया था। प्रदर्श 8 पर अपने हस्ताक्षर खाली कागज पर करना बताया। इस सुझाव को गलत बताया कि उसकी तरफ वादी के 6,000/- ट्रेक्टर की राशि और 16,438 रूपये बीमा के

बकाया हों। बीमे की रसीद वादी द्वारा नहीं देने का कथन किया। ऋण भुगतान की जो तारीखे लिखी है उनकी रसीदें पेश नहीं की। प्रदर्श-8 पर 24 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की शर्त नहीं लिखवाई। खाली कागज पर हस्ताक्षर करवाये। इस सुझाव को गलत बताया कि वह वादी के पैसे नहीं देना चाहता हो और गलत बयान देने आया हो। प्रदर्श 8 का पता बयान देते समय ही लगना बताया।

11. दौराने बहस दावा को मियाद पार होना एवं वादी के दस्तावेज प्रदर्श 4 व 8 को कूटरचित होना बताया। प्रदर्श 8 पर अपने हस्ताक्षर खाली कागज पर करवाना बताया और कथन किया कि ये दावा झूठे तथ्यों पर पेश किया है जो खारिज करने योग्य बताया तथा बीमा राशि स्वयं के द्वारा दो बार जमा करवाये से 16,438 रूपये प्राप्त करने का अधिकारी बताया।

12. दोनों पक्षों की ओर से दिये गये तर्को पर विचार किया गया। पत्रावली पर मौजूद दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्यों का अवलोकन किया गया। वादी फर्म की ओर से प्रतिवादी से वसूली योग्य राशि मूल रूप से 22,188/- रूपये बतायी गई है, परन्तु ना ही तो दावे में, ना ही साक्ष्य के शपथ-पत्र में स्पष्ट रूप से इस तथ्य का उल्लेख किया गया कि उक्त राशि किसप्रकार बकाया है। जबकि प्रतिवादी के अनुसार उसके द्वारा दो लाख अस्सी हजार रूपये वादी फर्म को नगद अदा किये गये थे, जिस तथ्य को गवाह पी.डब्ल्यू. 1 द्वारा अपनी जिरह में भी स्वीकार किया गया है एवं प्रतिवादी के अनुसार दो लाख रूपये का उसके द्वारा लोन करवाया गया था, जो सीधे ही कोटक महिन्द्रा बैंक द्वारा वादी फर्म को अदा किये गये थे, परन्तु वादी के अनुसार उसे बैंक द्वारा 1,94,250/- रूपये ही अदा किये गये, परन्तु इस संबंध में वादी को अपने खाते का बैंक से संबंधित कोई रिकार्ड पेश नहीं किया, जो यह दर्शित करे कि उसके खाते में मात्र 1,94,250/- रूपये ही जमा हुए। यह आवश्यक था कि वादी या तो खाते का विवरण पेश करता या उक्त चालान की प्रति प्राप्त कर पेश करता, जिसके द्वारा कोटक महिन्द्रा बैंक ने यह पैसे वादी फर्म के खाते में जमा करवाये। यहॉ यह भी ध्यान दिये जाने योग्य है कि यदि उक्त राशि को जोड़ा जाये तो 22,188/- रूपये किस प्रकार बने, यह भी स्पष्ट नहीं है। हालांकि वादी के अनुसार उसने प्रतिवादी की ओर से कथित ट्रेक्टर का बीमा करवाया था, जो 16,438/- रूपये का है, परन्तु इस बात का कोई प्रमाण पत्रावली पर पेश नहीं किया गया। वादी की ओर से पेश किये गये किसी भी दस्तावेज में इस तथ्य का उल्लेख नहीं है कि बीमा राशि वादी फर्म की ओर से अदा की गई है। इस संबंध में वादी व प्रतिवादी के मध्य कोई इकरार होना भी दर्शित नहीं हो रहा है। वादी की ओर से प्रस्तुत दस्तावेज प्रदर्श-8 में भी इस तथ्य का कोई उल्लेख नहीं है कि बीमा राशि वादी फर्म की ओर से जमा करवायी जा रही हो। यहॉ यह भी उल्लेखनीय है कि वादी द्वारा कुल राशि 22,188/- रूपये पर 24 प्रतिशत ब्याज इकरार अनुसार लगाये जाने का कथन किया है जबकि दोनों पक्षों के मध्य किसी भी बकाया राशि पर 24 प्रतिशत ब्याज लगाये जाने के संबंध में कोई दस्तावेज रचा जाना पत्रावली से दर्शित नहीं हो रहा है। यहॉ तक कि वादी के दस्तावेज प्रदर्श- 4 व 8 में भी इस तथ्य का कोई उल्लेख नहीं है कि उक्त 24 प्रतिशत ब्याज के संबंध में दोनों पक्षों के मध्य कोई इकरार हुआ हो।

गवाह पी.डब्ल्यू. 1 ने जिरह में कथन किया है कि उक्त इकरार ब्याज के संबंध में मौखिक हुआ था, जो कि माने जाने योग्य नहीं है। विधिनुसार जिस तथ्य को दस्तावेजी साक्ष्य से साबित किया जा सकता है उसके लिये दस्तावेजात् ही एक समुचित साक्ष्य की श्रेणी में आते हैं। जहॉ वादी फर्म व प्रतिवादी के मध्य सभी तथ्य लिखित में तय हुए हैं वहॉ ब्याज के संबंध में मौखिक इकरार होना, माने जाने योग्य नहीं है। यहॉ यह भी उल्लेखनीय है कि प्रस्तुत मामले में बीमा कम्पनी की भी ऐसी कोई रसीद प्रदर्शित नहीं करवायी गई जो बीमा राशि वादी फर्म के द्वारा जमा करवाये जाने के तथ्य को स्पष्ट करे। विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि जो व्यक्ति कथन करेगा, उन कथनों को साबित करने का भार उक्त व्यक्ति पर ही होगा। चूंकि बीमा राशि के संबंध में दोनों पक्षों के मध्य यह बिन्दु यह होने का कथन वादी ने किया है कि उक्त राशि प्रतिवादी के कहने पर वादी फर्म ने जमा करवायी थी तो इस बिन्दु को वादी फर्म द्वारा ही साबित किया जाना था, परन्तु जैसा कि उपरोक्त विवेचन किया गया है बीमा राशि फर्म द्वारा जाम करवाये जाने के संबध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। ऐसे में वादी फर्म वास्तव में दावे में अंकित राशि मय 24 प्रतिशत ब्याज के वसूल करने की अधिकारिणी हो, यह तथ्य साबित नहीं हुआ है। वादी पक्ष की दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य कमजोर प्रकृति की है, जिससे यह तो प्रकट है कि प्रतिवादी द्वारा वादी फर्म से ट्रेक्टर तो खरीदा गया था, परन्तु ट्रेक्टर के मूल्य में से कितनी राशि शेष रही, ना ही तो इसे वाद-पत्र स्पष्ट किया गया है, ना ही वादी पक्ष की साक्ष्य से यह साबित हुआ है कि बीमा राशि वादी फर्म ने जमा करवायी हो, जिस पर 24 प्रतिशत ब्याज अदा करने की शर्त को प्रतिवादी ने स्वीकार किया हो। इस प्रकार इस न्यायालय के विनम्र मत में वादी पक्ष विवाद्यक सं. 1 अपने पक्ष में साबित करने में असफल रहा है।

13. यदि विवाद्यक संख्या 2 के संबंध में प्रतिवादी के कथनों पर गौर किया जाये तो प्रतिवादी के अनुसार उसने दो बार वादी फर्म को ट्रेक्टर की बीमा राशि अदा की है, जिसमें से एक राशि 16,438/- रूपये वह पुनः प्राप्त करने का अधिकारी है, परन्तु यह उल्लेखनीय है कि प्रतिवादी द्वारा वादी फर्म को ऐसी राशि जमा करवाये जाने के संबंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं की। यदि प्रतिवादी चाहता तो इस संबंध में रसीद, बैंक का विवरण अथवा कोई स्वतंत्र साक्षी पेश कर सकता था, परन्तु ऐसा नहीं किया गया है। इस न्यायालय के विनम्र मत में खण्डन के रूप में किया गया यह कथन कि प्रतिवादी द्वारा दो बार राशि जमा करवायी है, प्रतिवादी की ओर से साबित नहीं किया जा सका है। अतः यह विवाद्यक विरुद्ध प्रतिवादी तय किया जाता है।

<u>अनुतोषः-</u>

14. चूंकि प्रकरण में विवाद्यक संख्या एक, जो कि मुख्य विवाद्यक है, वादी के विरुद्ध निर्णीत किया गया है। ऐसी स्थिति में वादी का वाद डिक्री किये जाने योग्य नहीं है।

आ दे श

अतः वाद वादी विरुद्ध प्रतिवादी वास्ते प्राप्त करने राशि 80,201/- रूपये उपर्युक्तानुसार अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगें।

(मिनाक्षी मीणा)
अपर जिला न्यायाधीश, संख्या-2
बून्दी (राजस्थान)

15. निर्णय आज दिनांक 13 मार्च, 2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अपर जिला न्यायाधीश, संख्या-2
बून्दी (राजस्थान)